ए.

एस. के. मिगलानी

बनाम

दिल्ली राज्य एन. सी. टी.

(2019 की आपराधिक अपील No.744)

बी.

अप्रैल 30,2019

[अशोक भूषण और के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एसएस।197 और 482-राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी से शुल्क लिया जाता है।201, 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120-आई. पी. सी. का बी.-अभियुक्त द्वारा एस. का पालन न करने के आधार पर उसे आरोपमुक्त करने का अनुरोध करने वाला आवेदन।197 अर्थात् उसके अभियोजन के लिए मंजूरी लेने में विफलता-मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) द्वारा खारिज किया गया आवेदन-उच्च न्यायालय द्वारा यू/एस याचिकाओं में खारिज कर दिया गया। 482 – अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:कर्मचारी, जो अपने कार्यालय से हटाने योग्य लोक सेवक नहीं है, सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से बचाया गया है,धारा 197 लागू नहीं थी-हालाँकि, सी. एम. एम. के लिए यह अवलोकन करना सही नहीं था कि कर्मचारी ने जालसाजी की थी, उस स्तर पर जब वह एस की प्रयोज्यता के प्रश्न पर विचार कर रहा था।197 – मजिस्ट्रेट, किसी भी स्तर पर, अंतिम मुकदमे से पहले, जांच के दौरान एकत्र किए गए किसी भी साक्ष्य के संबंध में किसी भी निर्णायक राय से बचना चाहिए-हालाँकि, ऐसे साक्ष्य पर एक राय बनाने के लिए देखा जा सकता है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है-आपराधिक परीक्षण-साक्ष्य।

सी.

डी.

ई.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

एफ.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.**अपीलार्थी अपने कार्यालय से हटाने योग्य लोक सेवक नहीं होने के कारण सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से सुरक्षित किया गया है, धारा **197 Cr.P.C** के तहत मंजूरी लागू नहीं थी।अपीलार्थी धारा **197 Cr.P.C** के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। इस स्तर पर, जब न्यायालय धारा **197 Cr.P.C** की प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न पर विचार कर रहा है, तो **CMM** के लिए यह अवलोकन करना आवश्यक नहीं था कि अपीलार्थी ने जालसाजी का कार्य किया है।एफ**.** एस**.** एल**.** रिपोर्ट आई**.** ओ**.** द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों में से एक थी। साक्ष्यों के आलोक में मुकदमे के समय इसका साक्ष्य मूल्य अभी भी जाना बाकी था, जो निचली विचारण न्यायालय के समक्ष आ सकता है।**[**पारस **11** और **13] [1167-**एफ**-**जी**; 1168-**बी**]**

जी.

एच.

1158 ए.

1159

एस. के. मिगलानी बनाम दिल्ली राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ए.

के. सी. एच. प्रसाद बनाम श्रीमती जे. वनलता देवी और अन्य

(1987) 2 एससीसी **52:[1987] 2** एस**.** सी**.** आर**. 216-**पर निर्भर।

2. सी**.** एम**.** एम**.** द्वारा इस अभिव्यक्ति का उपयोग करके राय देकर किया गया अवलोकन कि अपीलार्थी ने जालसाजी की है, से बचा जाना चाहिए था।मजिस्ट्रेट, अंतिम मुकदमे से पहले किसी भी स्तर पर, जांच के दौरान एकत्र किए गए किसी भी साक्ष्य के संबंध में किसी भी निर्णायक राय से बचना चाहिए।यह सच है कि जाँच में एकत्र किए गए साक्ष्य को एक राय बनाने के लिए देखा जा सकता है कि क्या किसी अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप लगाया गया है और उसके खिलाफ कथित अपराध की प्रकृति क्या है।**[**पैरा **15] [1169-**बी**-**सी**]**

बी.

सी.

एस. पी. एस. राठौर बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और

एक और **(2017) 5** एससीसी **817:[2016] 5** एस**.** सी**.** आर**. 335-**संदर्भित।

3. इसलिए**,** न्यायालय ने धारा **197 Cr.P.C** के तहत आवेदन को खारिज करने वाले **CMM** दिनांक **03.12.2014** के आदेश को इस आधार पर बरकरार रखा है कि अपीलार्थी को सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से सहेजे गए उसके कार्यालय द्वारा हटाने योग्य नहीं था।लेकिन सीएमएम द्वारा अपने आदेश में अभियुक्तों के खिलाफ जालसाजी आयोग के संबंध में की गई टिप्पणियों को हटा दिया जाता है।**[**पारस **19** और **20] [1170-**एफ**; 1171-**ए**]**

डी.

प्रकाश सिंह बादल और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य

ई.

और अन्य (2007) 1 एस. सी. सी. 1:[2006] 10 पूरक।एससीआर

197; पुलिस निरीक्षक और एक अन्य बनाम बत्तेनापटला वेंकट रत्नम और एक अन्य **(2015) 13** एससीसी **87;** देविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य

(2016) 12 एससीसी 87:[2016] 6 एससीआर 295; एन. के. गांगुली

एफ.

v. केंद्रीय जांच ब्यूरो **(2016) 2** एस**.** सी**.** सी**. 143:**

[2015] 10 एस**.** सी**.** आर**. 192-**पर निर्भर।संदर्भित निर्णय

[2006] 10 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 197** पर निर्भर

पैरा **4**

[1987] 2 एस**.** सी**.** आर**. 216** पैरा **10 [2016] 5** एस**.** सी**.** आर**. 335** पैरा **14 (2015) 13** एस**.** सी**.** सी**. 87** पैरा **16 [2016] 6** एस**.** सी**.** आर**. 295** पैरा **16 [2015] 10** एस**.** सी**.** आर**. 192** पैरा **17** पर निर्भर था

जी.

एच.

1160

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 6 एस सी आर।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2019 की आपराधिक अपील No.744

सी. आर. एल. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 06.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से। 2015 का एम. सी. No.572

अजयइंदर सांगवान, राजकुमार शर्मा, वी. पी. सिंह, टी. पी. सिंह, सचिन चौधरी, सुमिंदर पासवान, प्रदीप कुमार श्रम, अमुरिध कुमार, देवेंद्र सिंह, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

बी.

वी. बालाजी, नचिकेता जोशी, प्रणीत प्रणव, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

अशोक भूषण, जे. 1.यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के धारा 482 Cr.P.C के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने वाले दिनांक 06.08.2018 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है. जिसमें मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 03.12.2014 और 13.12.2014 के आदेश को रद्द करने और आगे धारा 201,409,419,420,467,468,471,120-B आई. पी. सी. और आरोप पत्र के तहत 2000 के एफ. आई. आर. संख्या 432 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

डी.

2. मामले के जिन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वे हैंः- 2.1 अपीलार्थी संबंधित समय पर बैंक ऑफ बड़ौदा, फरीदाबाद शाखा में प्रबंधक के रूप में काम कर रहा है।श्री अनंत चटर्जी, निदेशक, आवास ने दिनांक 14.11.2000 पर लिखित शिकायत दी।उक्त आधार पर पी. एस. कोटला मुबारकपुर में आई. पी. सी. की धारा 201,409,419,420,467,468,471,120-बी के तहत अपराध के लिए 2000 की एफ. आई. आर. संख्या 432 दिनांक 1 दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला था कि महेंद्र कुमार (लेखाकार), एच. आर. शर्मा (वरिष्ठ लेखा अधिकारी), एस. सी. चुघ (सहायक लेखाकार)। निदेशक आवास), वी. डी. नंदा (एच. एफ. ए. (एच.) ने डी. डी. ए. के अन्य कर्मचारियों एम. एल. आहूजा और आशा गुप्ता और प्रॉपर्टी डीलर एस. के. खन्ना और एस. के. गोयल और मूल आवंटनकर्ता के एस. पी. ए. धारक प्रवीण कुमार के साथ मिलकर मूल आवंटनकर्ता श्री गौतम धर के जाली अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से फ्लैट की लागत को 1 लाख से घटाकर 7.77 लाख करने के लिए अवैध रूप से काम किया और पाया कि मूल एफ. डी. आर. और धनवापसी आवेदन दिनांक 2 को डी. डी. ए. फाइल से हटा दिया गया था/गलत स्थान पर रखा गया था।हालांकि, एफ. आई. आर. ने आरोप लगाया कि ए. द्वारा रुपये 2,22,263 का रिफंड चेक वापस ले लिया गया था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1161

एस. के. मिगलानी बनाम दिल्ली राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [अशोक भूषण, जे.] ए.

आबंटित व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, फरीदाबाद में बचत बैंक खाता No.33604 खोलना।

2.2 जाँच के बाद डी. डी. ए. के अधिकारियों, संपत्ति विक्रेताओं और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रवीण कुमार के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया था, जिसमें अपीलार्थी का नाम शामिल था।पूरक आरोप पत्र में, यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी ने श्री गौतम धर के वकील प्रवीण कुमार और श्री राजिंदर पुत्र श्री ब्रह्म पाल के साथ मिलकर गौतम धर के नाम पर एक काल्पनिक बचत बैंक खाता (आईडी2) खोला ताकि रुपये (आईडी3) के लिए (आईडी1) दिनांकित चेक को भुनाया जा सके।पूरक आरोप पत्र में आगे कहा गया है कि डीडीए अधिकारियों के खिलाफ धारा 197 Cr.P.C के तहत अभियोजन की मंजूरी प्राप्त की गई है।जांच एजेंसी ने विभिन्न दस्तावेजों पर लिखावट के संबंध में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से दिनांकित 30.12.2002 की रिपोर्ट भी प्राप्त की।अपीलार्थी के हस्ताक्षर के साथ गौतम धर के खाता खोलने के प्रपत्र पर हस्ताक्षर के संबंध में लिखावट की राय भी प्राप्त की गई थी।

बी.

सी.

डी.

2.3 अपीलार्थी द्वारा 2000 की ए. सी. एम. एम., साकेत न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष ए. सी. एम. एम., साकेत न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष 2000 की ए. आई. डी. 3 में एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी एक राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रबंधक के रूप में कार्यरत एक लोक सेवक है और अपीलार्थी के खिलाफ धारा 197 Cr.P.C के संदर्भ में अभियोजन की मंजूरी लेना अनिवार्य है। यह कहा गया था कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी -अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं मांगी है, इसलिए उसे धारा 197 Cr.P.C का पालन न करने के कारण आरोपमुक्त किया जा सकता है। मुख्य महानगर दंडाधिकारी (दक्षिण), साकेत न्यायालय ने मंजूरी के अभाव में आरोपमुक्त करने के लिए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करते हुए आई. डी. 1 पर एक आदेश पारित किया। 13.12.2014 पर चार्ज तैयार करने के लिए मामला तय किया गया था।13.12.2014 पर,

अपीलार्थी के खिलाफ धारा 465/120-बी आई. पी. सी. के तहत आरोप तय किया गया था। 13.12.2014 पर अपीलार्थी के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किया गया थाः-

ई.

एफ.

जी.

"चार्ज करें

मैं, विवेक कुमार गुलिया, चीफ मेट्रोपॉलिटन, मजिस्ट्रेट (दक्षिण), साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली एतद्द्वारा आरोप लगाते हैं।

एच.

आपने श्री के पुत्र एस. के. मिघलानी पर आरोप लगाया। लाल चंद मिघलानी निम्नानुसारः

कि आप, 1996 में और उसके बाद, डी. डी. ए., आई. एन. ए., विकास सदन, नई दिल्ली और अन्य स्थानों पर, सह-अभियुक्त महेंद्र कुमार, एच. आर. शर्मा, एस. सी. चुघ, वी. डी. नंदा, प्रवीण कुमार, एस. के. खन्ना, एस. के. गोयल के साथ।एम. एल. आहूजा और आशा गुप्ता, डी. डी. ए. के साथ आपराधिक विश्वासघात करने के लिए सहमत हुए, जिसके अनुसार चालान जमा करने के लिए जाली पत्र, पता बदलने के लिए आवेदन, संबंधित हलफनामा, आवंटनकर्ता श्री के जाली हस्ताक्षर वाले लागत को कम करने के लिए आवेदन। गौतम धर और नोटरी की जाली मुहर पर विचार किया गया और आगे आवंटनकर्ता के नाम पर जारी किए गए चेक को आपके द्वारा खोले गए जाली खाते के माध्यम से भुनाया गया और इस तरह दंडनीय अपराध किया गया।120- बी आई. पी. सी. और इस न्यायालय के संज्ञान के भीतर;

बी.

सी.

दूसरा, कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा, फरीदाबाद शाखा, हरियाणा में आबंटित श्री के नाम से खाता खोलने का फॉर्म जाली बनाया। गौतम धर (खाता सं। 33604) धनवापसी के चेक को भुनाने के इरादे से और इस तरह दंडनीय अपराध किया।465 आई. पी. सी. और इस न्यायालय के संज्ञान में।

डी.

ई.

मैं एतद्द्वारा आपको उपरोक्त आरोपों के लिए इस न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने का निर्देश देता हूं।

सीएमएम (दक्षिण) साकेत कोर्ट नई दिल्ली/13.12.2014

एफ.

आरोप को पढ़ा जाता है और आरोपी को स्थानीय भाषा में समझाया जाता है और उससे निम्नानुसार पूछताछ की जाती हैः

क्यूज़।:क्या आप दोष स्वीकार करते हैं या मुकदमे का दावा करते हैं?उत्तर। मैं दोषी नहीं होने का अनुरोध करता हूं और मुकदमे का दावा करता हूं।"

जी.

2.4 अपीलार्थी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं:-

आई. श्री द्वारा पारित दिनांकित 03.12.2014 आदेश को दरकिनार कर दें। वी. के. गुलिया, एल. सी. एम. एम., साकेत अदालतें, नई दिल्ली याचिकाकर्ता के आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज करते हुए; ए.

एच.

1163

एस. के. मिगलानी बनाम दिल्ली राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [अशोक भूषण, जे.] ए.

ii श्री द्वारा पारित दिनांकित 13.12.2014 आदेश को अलग रखें। वी. के. गुलिया, एल. सी. एम. एम., साकेत अदालतें, नई दिल्ली, इस प्रकार याची के खिलाफ आवश्यकतानुसार अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त किए बिना संज्ञान लेते हुए आरोप तैयार करते हैं।197 Cr.P.C. न्याय के हित में;

iii.एफ़. आई. आर. No.432/2000, यू/एस. को रद्द करें। 406/201/419/420/467/468/ 471/120 बी पी. एस. में आई. पी. सी. दर्जःकोटला मुबारकपुर, दिल्ली, आरोप पत्र यू/एस।406/201/419/420/467/468/471/120 बी आई. पी. सी. और याचिकाकर्ता से आगे की कार्यवाही;

बी.

iv.ऐसा कोई भी या आगे का आदेश (आदेश) पारित करें जो यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित और उचित समझे।"

सी.

2.5 उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से धारा 482 Cr.P.C के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया।उक्त फैसले के खिलाफ यह अपील दायर की गई है।

डी.

3. इस अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी , जो बैंक ऑफ बड़ौदा में शाखा प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था, ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में बचत खाता No.33604 खोलने की अनुमति दी थी।अपीलार्थी एक लोक सेवक होने के नाते, अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने के लिए धारा 197 Cr.P.C के तहत मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि डी. डी. ए. अधिकारियों के संबंध में मंजूरी प्राप्त कर ली गई है, लेकिन अपीलार्थी के लिए कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है।वह प्रस्तुत करता है कि सी. एम. एम. ने मंजूरी के अभाव में आरोपमुक्त करने के लिए अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार करने में त्रुटि की।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी का नाम केवल पूरक आरोप पत्र में आया है और आरोप केवल बचत बैंक खाता खोलने के संबंध में हैं। जाँच एजेंसी ने खाता खोलने के प्रपत्र और अपीलार्थी के नमूना हस्ताक्षर पर गौतम धर के हस्ताक्षर के संबंध में लिखावट विशेषज्ञों की राय प्राप्त की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खाता खोलने के प्रपत्र पर गौतम धर के हस्ताक्षर के संबंध में और अपीलार्थी के नमूने के हस्ताक्षर के साथ दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त दिनांकित 30.12.2002 रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि हाथ में मौजूद सामग्री के आधार पर शेष वस्तुओं पर एक निश्चित राय व्यक्त करना संभव नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि

ई.

एफ.

जी.

एच.

हालाँकि उक्त रिपोर्ट आई. ओ. के पास थी, लेकिन जी. ई. क्यू. डी., शिमला से आगे की राय लेने के लिए मुख्य फोरेंसिक वैज्ञानिक और निदेशक (एफ. एस.) से एक और रिपोर्ट मांगी गई

थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिपोर्ट दिनांकित 29.10.2003 पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें कहा गया है कि खाता खोलने के प्रपत्र में गौतम धर के हस्ताक्षर अपीलार्थी के नमूना हस्ताक्षर से मेल खाते हैं।वे प्रस्तुत करते हैं कि बाद की रिपोर्ट, जो दिनांक 29.10.2003 के पत्र द्वारा भेजी गई थी, पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि खाता खोलने के प्रपत्र में गौतम धर के हस्ताक्षर और अपीलार्थी के हस्ताक्षर में कोई समानता नहीं है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, एक लिखावट विशेषज्ञ की राय केवल एक राय साक्ष्य है, जो साक्ष्य की एक कमजोर प्रकृति है और अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार करने में भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उसने अपने आधिकारिक कर्तव्य का प्रयोग करते हुए खाता खोला है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सी. एम. एम. ने अपने दिनांकित 03.12.2014 आदेश में कहा है कि खाता खोलने के प्रपत्र को मंजूरी देने में अपीलार्थी द्वारा जालसाजी की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमा आगे बढ़ने से पहले ही अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है।4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के प्रस्तुत करने का खंडन करते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी धारा 197 Cr.P.C के लाभ का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ आरोप जालसाजी के आरोप हैं, जिन्हें आधिकारिक कर्तव्य के प्रयोग में आरोप लगाए जाने के लिए नहीं माना जा सकता है।यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय ने प्रकाश सिंह बादल मामले में फैसला सुनाया है।

बी.

सी.

डी.

और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2007) 1 एस. सी. सी. 1 कि

ई.

धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध या उस मामले के लिए धारा 467,468,471 और 120 बी से संबंधित अपराधों को उनकी प्रकृति से किसी भी कल्पना के विस्तार से किसी भी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया माना नहीं जा सकता है।

एफ.

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी के आवेदन को सी. एम. एम. द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. सी. एम. एम. ने अपने दिनांक 03.12.2014 के आदेश में धारा 197 Cr.P.C के तहत मंजूरी के अभाव में आरोपमुक्त करने के लिए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करते हुए प्रकाश

सिंह बादल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।अपीलार्थी के संबंध में सी. एम. एम. द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः- ए.

जी.

एच.

1165

एस. के. मिगलानी बनाम दिल्ली राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [अशोक भूषण, जे.] ए.

“अभियुक्त एस. के. मिघलानी ने धारा 197 Cr.P.C के तहत बिना अनुमति के आरोपमुक्त करने के लिए अपने आवेदन पर जोर दिया। यह तर्क दिया गया कि उसने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाता खोला था और चूंकि यह कार्य उसके कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था, इसलिए धारा 197 Cr.P.C के अभाव में उसके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए था। एफ. एस. एल. रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त एस. के. मिघलानी ने श्री के जाली हस्ताक्षर किए थे। गौतम धर खाता खोलने के रूप में और इसके अलावा, परिचयकर्ता राजेंद्र के. फरार है।इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, लोक सेवक द्वारा किए गए जालसाजी के कार्य को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कार्य नहीं माना जा सकता है।इस संबंध में, प्रकाश सिंह बादल और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2007) 1 एस. सी. सी. 1) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था किः

बी.

सी.

“.....धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के अपराध या धारा 467,468,471 और 120 बी से संबंधित अपराधों को किसी भी तरह से किसी भी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के उद्देश्य से किया गया अपराध नहीं माना जा सकता है।ऐसे मामलों में, आधिकारिक स्थिति केवल अपराध करने का अवसर प्रदान करती है।

डी.

अन्यथा भी, जब अभियुक्त बार में मंजूरी का अनुरोध करता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी आवश्यकता को साबित करे, लेकिन अभियुक्त ने इस न्यायालय को संतुष्ट नहीं किया है कि धारा 197 इस मामले में लागू होती है क्योंकि प्रासंगिक समय पर वह लोक सेवक था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के साथ अपने पद से हटाया नहीं जा सकता था।”

ई.

एफ.

8. सी. एम. एम. द्वारा दिए गए कारणों में से एक यह है कि अभियुक्त ने न्यायालय को संतुष्ट नहीं किया है कि इस मामले में धारा 197 लागू होती है क्योंकि प्रासंगिक समय पर, वह लोक सेवक था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से अपने पद से हटाया नहीं जा सकता था।धारा 197 Cr.P.C प्रदान करती हैः-

जी.

“197. न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन।— (1) कब

कोई भी व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है या था, जो सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा अपने पद से हटाने योग्य नहीं है, उस पर किसी भी ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जो उसके द्वारा कार्य करते समय या निर्वहन में कार्य करने के लिए कथित रूप से किया गया था।

एच.

अपने आधिकारिक कर्तव्य के अनुसार, कोई भी न्यायालय पूर्व मंजूरी के अलावा इस तरह के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा [सिवाय इसके कि लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 में अन्यथा प्रावधान किया गया है] -

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो नियोजित है या, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार के संघ के मामलों के संबंध में नियोजित कथित अपराध के समय था;

बी.

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो नियोजित है या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार के किसी राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित कथित अपराध के समय थाः

सी.

बशर्ते कि जहां खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा कथित अपराध उस अवधि के दौरान किया गया था जब संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत जारी की गई उद्घोषणा किसी राज्य में लागू थी, खंड (बी) इस तरह लागू होगा जैसे कि उसमें होने वाली "राज्य सरकार" अभिव्यक्ति के लिए, "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया था।

डी.

स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि धारा 166 ए, धारा 166 बी, धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी, धारा 354 डी, धारा 370, धारा 375, धारा 376 ए, धारा 376 एबी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376 डीए, धारा 376 डीबी या भारतीय दंड संहिता (1860 की धारा 45) की धारा 509 के तहत किए गए किसी भी अपराध के आरोपी लोक सेवक के मामले में किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।"

ई.

XXXXXXXXXXXX "

एफ.

9. अपीलार्थी राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रबंधक होने के नाते क्या यह दावा कर सकता है कि उस पर मुकदमा चलाने से पहले धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता है।सी. एम. एम. की राय में आया कि अपीलार्थी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि वह लोक सेवक है जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है, धारा 197 अपीलार्थी के संबंध में आकर्षित नहीं थी।उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, सी. एम. एम. के लिए इस प्रश्न में प्रवेश करना आवश्यक नहीं था कि क्या अपीलार्थी के खिलाफ कथित कृत्यों को आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन में निर्वहन किया गया था।

जी.

एच.

ए.

10. यह सवाल कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रबंधक धारा 197 Cr.P.C के लाभ का दावा कर सकता है, समाकलन नहीं है।इस न्यायालय में

के. एच. प्रसाद बनाम श्रीमती. जे. वनलता देवी और अन्य**, (1987) 2**

एस. सी. सी. 52 के पास उसी प्रश्न पर विचार करने का अवसर था, जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करने वाले लोक सेवक होने का दावा करता था।उपरोक्त मामले में अपीलार्थी द्वारा धारा 197 Cr.P.C के तहत मंजूरी की कमी के लिए अभियोजन पक्ष की स्थिरता पर सवाल उठाने वाले आवेदन को महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय में संशोधन का भी यही परिणाम हुआ था।इस न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि भले ही राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है, फिर भी धारा 197 के

प्रावधान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हैं।निर्णय के अनुच्छेद संख्या 6 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः-

बी.

सी.

“6. इस प्रावधान से यह बहुत स्पष्ट है कि यह धारा केवल उन मामलों में आकर्षित होती है जहां लोक सेवक ऐसा होता है जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है।यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी ऐसे पद पर नहीं है जहाँ उसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा सेवा से हटाया नहीं जा सके।मामले के इस दृष्टिकोण में भले ही यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी एक लोक सेवक है, फिर भी धारा 197 के प्रावधान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं।”

डी.

11. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय में उपरोक्त पहलू पर ध्यान नहीं दिया है और केवल इस चर्चा तक ही सीमित रखा है कि क्या अपीलार्थी के कथित कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में थे।उच्च न्यायालय ने भी प्रकाश सिंह बादल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था।हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी अपने कार्यालय से हटाने योग्य लोक सेवक नहीं होने के कारण सरकार द्वारा या सरकार की मंजूरी से बचाया गया है, धारा 197 Cr.P.C के तहत मंजूरी लागू नहीं थी।अपीलार्थी धारा 197 Cr.P.C के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। हमारा विचार है कि इस बारे में आगे के प्रश्न की जांच की आवश्यकता नहीं थी कि क्या अपीलार्थी अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या कार्य करने का इरादा रखता था, जब उसने धारा 197 (1) Cr.P.C की प्रयोज्यता के लिए शर्तों को पूरा नहीं किया था।

ई.

एफ.

जी.

12. हम आगे देखते हैं कि सी. एम. एम. ने अपने दिनांकित 03.12.2014 के आदेश में, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, निम्नलिखित टिप्पणियां कींः-

“.....एफ. एस. एल. रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आरोपी एस. के. मिघलानी ने श्री के जाली हस्ताक्षर किए थे। गौतम धर के खाते में शुरुआती फॉर्म और इसके अलावा, परिचयकर्ता राजेंद्र केआर।

एच.

फरार है।इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, लोक सेवक द्वारा किए गए जालसाजी के कार्य को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कार्य नहीं माना जा सकता है।

13. इस स्तर पर, जब न्यायालय धारा 197 Cr.P.C की प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न पर विचार कर रहा है, तो सीएमएम के लिए यह अवलोकन करना आवश्यक नहीं था कि अपीलार्थी ने जालसाजी का कार्य किया है।एफ. एस. एल. रिपोर्ट आई. ओ. द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों में से एक थी। साक्ष्यों के आलोक में मुकदमे के समय इसका साक्ष्य मूल्य अभी भी जाना बाकी था, जो निचली विचारण न्यायालय के समक्ष आ सकता है।

बी.

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय पर भरोसा किया है

एस. पी. एस. राठौर बनाम में यह न्यायालय। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और एक अन्य, (2017) 5 एस. सी. सी. 817, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि

सी.

हालाँकि एक हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय भी प्रासंगिक है, लेकिन वह भी निर्णायक नहीं है।इस न्यायालय ने आगे कहा कि हस्तलेखन के रूप में विशेषज्ञ साक्ष्य केवल राय साक्ष्य है, जिसकी पुष्टि या तो स्पष्ट, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा की जानी चाहिए।पैराग्राफ नंबर 47 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः-

डी.

“47. अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क के संबंध में कि ज्ञापन पर सुश्री रुचिका के हस्ताक्षर जाली थे, हालांकि उन्होंने श्री आनंद प्रकाश, श्री एस. सी. गिरहोत्रा, सुश्री आराधना और श्रीमती मधु प्रकाश के सामने हस्ताक्षर किए थे और उन्होंने इसे स्वीकार विद्वान है, हमारी राय है कि हस्तलेखन के बारे में विशेषज्ञ साक्ष्य केवल राय का प्रमाण है और यह कभी भी निर्णायक नहीं हो सकता है।किसी भी विशेषज्ञ के साक्ष्य पर कार्य करते हुए, यह आमतौर पर यह देखने के लिए होता है कि क्या उस साक्ष्य की पुष्टि या तो स्पष्ट, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा की जाती है।एक हस्तलेखन विशेषज्ञ का एकमात्र साक्ष्य आम तौर पर किसी निश्चित व्यक्ति के लेखन के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है।एक न्यायालय किसी व्यक्ति के विवादित लेखन की तुलना दूसरों के साथ करने में सक्षम है जो उसके लेखन के रूप में स्वीकार या साबित होते हैं।किसी न्यायालय के लिए किसी व्यक्ति के लेखन के बारे में निष्कर्ष को केवल विशेषज्ञ तुलना के आधार पर किसी निश्चित दस्तावेज में दर्ज करना सुरक्षित नहीं हो सकता है, लेकिन एक न्यायालय स्वयं लेखन की तुलना कर सकती

है ताकि उस संबंध में उसके सामने पेश किए गए अन्य साक्ष्यों को ठीक से समझा जा सके।एक हस्ताक्षर विशेषज्ञ की राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 को देखते हुए भी प्रासंगिक है, लेकिन वह भी निर्णायक नहीं है।इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि एक हस्तलेखन विशेषज्ञ का एकमात्र साक्ष्य आम तौर पर ए नहीं होता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1169

एस. के. मिगलानी बनाम दिल्ली राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [अशोक भूषण, जे.] ए.

एक निश्चित व्यक्ति के लेखन के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए पर्याप्त है या नहीं।यह इस प्रकार है कि यह आवश्यक नहीं है कि विवादित लेखन को साबित करने या गलत साबित करने के लिए किसी मामले में हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच की जानी चाहिए।यह राय साक्ष्य है और यह शायद ही कभी, यदि कभी भी, ठोस साक्ष्य का स्थान ले सकता है।इस तरह के साक्ष्य पर कार्रवाई करने से पहले, यह देखना सामान्य है कि क्या इसकी पुष्टि या तो स्पष्ट, प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा की जाती है।"

बी.

15. सी. एम. एम. द्वारा की गई टिप्पणी, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, इस अभिव्यक्ति का उपयोग करके राय देते हुए कि अपीलार्थी ने जालसाजी की है, से बचा जाना चाहिए था। मजिस्ट्रेट, अंतिम मुकदमे से पहले किसी भी स्तर पर, जांच के दौरान एकत्र किए गए किसी भी साक्ष्य के संबंध में किसी भी निर्णायक राय से बचना चाहिए।यह सच है कि जाँच में एकत्र किए गए साक्ष्य को एक राय बनाने के लिए देखा जा सकता है कि क्या किसी अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप लगाया गया है और उसके खिलाफ कथित अपराध की प्रकृति क्या है।

सी.

16. जहाँ तक प्रकाश सिंह बादल **(**ऊपर दिए गए**)** मामले में इस न्यायालय के फैसले पर प्रत्यर्थी के वकील और अन्य फैसलों ने भरोसा किया है**,**

डी.

अर्थात्, पुलिस निरीक्षक और एक अन्य बनाम बत्तेनापटला वेंकट रत्नम और एक अन्य, (2015) 13 एस. सी. सी. 87 और देविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2016) 12 एस. सी. सी. 87

प्रस्ताव**,** जो प्रकाश सिंह बादल **(**ऊपर**)** में रखा गया था**,** इस प्रस्ताव में कोई विवाद नहीं हो सकता है।प्रकाश सिंह बादल **(**ऊपर**)** में**,** इस न्यायालय ने पैराग्राफ **No.15** में निम्नलिखित निर्धारित किया**; -**

ई.

“15. यह उनका रुख है कि जहां लोक सेवक ने पद धारण करना बंद कर दिया है, जिसका कथित रूप से दुरुपयोग किया गया है, तो आरोपी के पूरी तरह से अलग सार्वजनिक पद धारण करने की आकस्मिक परिस्थिति अप्रासंगिक है।आर. एस. नायक मामला, (1984) 2 एस. सी. सी. 183, पैरा 13 में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि "पूरी धारा की नीति के विश्लेषण पर लोक सेवक को उस पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी अकेले सक्षम मंजूरी देने वाला प्राधिकारी है जिसका कथित रूप से दुरुपयोग किया गया है।"”

एफ.

जी.

17. प्रत्यर्थी के वकील द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णयों में भी यही प्रस्ताव दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने

एन. के. गांगुली बनाम पर भी भरोसा रखा। केंद्रीय ब्यूरो

जाँच**, (2016) 2** एस**.** सी**.** सी**. 143,** जहाँ इस न्यायालय ने पैराग्राफ **No.35** में निम्नलिखित निर्धारित किया है**:-**

एच.

“35. ऊपर निर्दिष्ट मामले की विधि के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 197 Cr.P.C के तहत उपयुक्त सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के उद्देश्य से, यह अनिवार्य है कि कथित अपराध अभियुक्त द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया हो।न्यायालय के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वह अपीलार्थियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट में निहित आरोपों की जांच करे, यह तय करने के लिए कि क्या अभियुक्त के खिलाफ विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा

कथित अपराध का संज्ञान लेने से पहले प्रत्यर्थी द्वारा उपयुक्त सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है।तत्काल मामले में, चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट में अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोप कि कथित अपराध उनके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए थे, इसलिए, विद्वान विशेष न्यायाधीश के लिए यह सही ढंग से निर्णय लेना आवश्यक था कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा संज्ञान लेने और अपीलार्थियों को उनकी उपस्थिति के लिए समन जारी करने का आदेश पारित करने से पहले धारा 197 Cr.P.C के तहत केंद्र सरकार से पिछली मंजूरी लेने की आवश्यकता थी।"

बी.

सी.

डी.

18. उपरोक्त मामले में दिए गए प्रस्ताव में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।हमारा विचार है कि अपीलार्थी का सरकार की मंजूरी से हटाने योग्य या सहेजा नहीं जाना धारा 197 के दायरे में नहीं आता है। इस बारे में आगे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि क्या अपीलार्थी के कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में थे या नहीं।

ई.

19. इस प्रकार, हमने धारा 197 Cr.P.C के तहत आवेदन को अस्वीकार करने वाले CMM दिनांक 03.12.2014 के आदेश को इस आधार पर बरकरार रखा कि अपीलार्थी सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से सहेजे गए अपने कार्यालय द्वारा हटाने योग्य नहीं था।हालाँकि, हम दिनांकित 03.12.2014 आदेश से निम्नलिखित टिप्पणियों को हटा देते हैंः-

एफ.

".....एफ. एस. एल. रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आरोपी एस. के. मिघलानी ने श्री के जाली हस्ताक्षर किए थे। गौतम धर खाता खोलने के रूप में और इसके अलावा, परिचयकर्ता राजेंद्र के. फरार है।इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, लोक सेवक द्वारा किए गए जालसाजी के कार्य को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कार्य नहीं माना जा सकता है।

जी.

एच.

20. हालाँकि, हम उच्च न्यायालय के आदेश के साथ-साथ सी. एम. एम. के आदेश को भी बरकरार रखते हैं, लेकिन सी. एम. एम. द्वारा अपने आदेश में की गई टिप्पणियों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, को हटा दिया जाता है।ऊपर बताए गए हद तक अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

बी.

कलापना के. त्रिपाठी

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.